

कार्यालय-जिला न्यायालय चित्रकूट ।

पत्र संख्या- 56 /xv/2025

दिनांक- .05.2025

अल्पकालिक कोटेशन

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चित्रकूट के आदेश दिनांकित 09.05.2025 के अनुपालन में इस न्यायिक अधिष्ठान में लगे मल्टीनेटवर्क ऑप्टिकल केबल की मरम्मत हेतु कोटेशन अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है-

क्र. सं.	उपकरण का नाम	कार्य का नाम
1.	मल्टीनेटवर्क ऑप्टिकल केबल रैक	मल्टीनेटवर्क ऑप्टिकल केबल की मरम्मत का कार्य

इच्छुक फर्म / संस्था, जरिये ई-मेल / डाक अथवा स्वयं दिनांक- 19.05.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जरिये डॉक, स्वयं अथवा ई-मेल आईडी dcchi@allahabadhighcourt.in द्वारा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कोटेशन के साथ उक्त सामग्री का नमूना एवं इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें, कि यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा प्रेषित कोटेशन स्वीकार किया जाता है, तो वे न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर निर्देशित सामग्री प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। कोटेशन में सामग्री का विवरण तथा उत्पादकर्ता का नाम, मॉडल एवं स्पेसिफिकेशन का उल्लेख भी आवश्यक है। साथ ही कोटेशन स्वीकार होने पर सम्बन्धित फर्म / संस्था को सम्पूर्ण सामग्री स्वयं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय तक पहुंचाना होगा। आपूर्ति करने वाली संस्था / फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री में यदि कोई खराबी पायी जाती है तो उसे उसके द्वारा अपने खर्च पर ही बदला जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त विवरणांकित वांछित सामग्री की मात्रा आवश्यकतानुसार क्रय समिति द्वारा घट-बढ़ सकती है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय चित्रकूट को किसी भी कोटेशन को बिना आपत्ति के रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा। कोटेशन दिनांक- 19.05.2025 को अपराह्न 04:35 बजे खोले जाएंगे। समय अवधि के बाद आने वाले कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

19/05/25
प्रभारी अधिकारी नज़ारत,
जिला न्यायालय चित्रकूट।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01- सदर नाजिर कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 02- अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड-1 कर्वी चित्रकूट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 03- तहसीलदार कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 04- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, चित्रकूटधाम कर्वी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
- 05- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
- 06- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय चित्रकूट के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
- 07- कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं अनुरक्षण हेतु।
- 08- जिला सूचना अधिकारी चित्रकूट को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।

19/05/25
प्रभारी अधिकारी नज़ारत,
जिला न्यायालय चित्रकूट।